

कबाड़ा व्यवसायी स्वयं हटा रहे हैं अपना कबाड़ा

नोटिस के बाद भी कबाड़ा नहीं हटाने पर नगर निगम हटायेगा कबाड़ा

15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से संबंधित से वसूल होगी राशि

ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ा के व्यापारी शहर से अपने गोडाउन तत्काल हटा लें

रतलाम 31 अक्टूबर । रतलाम शहर में मोहन नगर व लकड़पीठा क्षेत्र जैसी

आगजनी की घटना भविष्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री

कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ा सेन्टरए

प्लास्टिकए प्लास्टिक से निर्मित सामग्रीए लकड़ीए तेलए आयलए डीजलए गैस

सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने हेतु दिये

गये नोटिस के बाद भी गोदाम नहीं हटाने पर गोदाम हटाने की कार्यवाही कलेक्टर

एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार की जा रही है जिसके

तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कबाड़ा सेंट्रो को खाली कराये जाने हेतु

नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये जाने के तहत अधिकांश कबाड़ा

व्यवसायियों ने अपने कबाड़ा को हटा लिया है शेष बचे कबाड़ा व्यवसायी भी अपना

कबाड़ा स्वयं हटा रहे हैं। ऐसे शेष बचे कबाड़ा व्यवसायी जो अपना कबाड़ा नहीं

हटायेगा उसे नगर निगम द्वारा हटाया जाकर 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान

से संबंधित से राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम द्वारा नोटिस मिलने के बाद जावरा रोड क्षेत्र में 2 में से 1 ने खाली

कर दिया हैए हाट रोड क्षेत्र में लच्छू कबाड़ी द्वारा कबाड़ा हटाया जा रहा हैए

विनोबा स्कूल के सामने 2 ने हटाना प्रारंभ कर दिया हैए बीएसएनएल स्टोर

बिरियाखेड़ी क्षेत्र में 2 के द्वारा कबाड़ा हटाया जा रहा है व महु रोड़ राजस्व नगर

आनन्द पैलेस के पीछे 2 कबाड़ा व्यवसायियों को अपना कबाड़ा शीघ्र हटाने के

निर्देश उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा व श्री मनीश तिवारी द्वारा दिये गये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर

महोदय द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर

निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण करने वाले

व्यापारियों को अपने गोडाउन शहर से हटाने का नोटिस जारी किये गये थे। ऐसे

व्यापारी जिन्होंने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनशील पदार्थ कबाड़ सेन्टर ए प्लास्टिक ए प्लास्टिक से निर्मित सामग्री ए लकड़ी ए तेल ए आयल ए डीजल ए गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिये हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायें हैं वे षहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

त्रिवेणी मेले में आज होगा कवि सम्मेलन

रतलाम 31 अक्टूबर । नगर निगम द्वारा आयोजित त्रिवेणी मेले में रात्रि में नागरिकों के मनोरंज हेतु 31 दिसम्बर 2021 से 03 जनवरी 2022 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिसके तहत 01 जनवरी 2022 षनिवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आमंत्रित कवि हैं सर्वश्री सफर जौनपुरी. नागपुर ए दिनेष सिंदल.जोधपुर ए अशोक नागर.षाजापुर ए धीरज षर्मा.नालछा व निसार पठान.मेघनगर है। 02 जनवरी 2022 को आदिवासी लोक नृत्य षषांक तिवारी द्वारा व मेले के अंतिम दिन 03 जनवरी 2022 को श्री सत्यवीर तेजाजी महाराज की कथा का आयोजन किया गया है।

मेले में वे ही नागरिक आये जिन्होंने कोरोना के दोनो टीके लगवाये है साथ ही अनिवार्य रूप से मास्क लगायें व सोष्यल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

रात्रिकालिन सफाई के 11 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 31 दिसम्बर । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 30 दिसम्बर को निरीक्षण किये जाने पर 11 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

30 दिसम्बर गुरुवार को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान षंकर. पुनाजी ए जितेन्द्र.प्रकाष ए दौलत.राजू ए धनराज.बसंत ए अजय.बसंत ए आकाष.मुकेष ए प्रषांत ओसान ए नरेन्द्र.विजय ए रामजीलाल.किषन ए राकेष.मनसुखलाल व भरत. रामलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का

वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

कचरा संग्रहण वाहन के 3 वाहन चालकों का एक दिवस का वेतन काटा रतलाम 31 दिसम्बर । घर.घर से कचरा संग्रहण वाहन के 3 वाहन चालकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने से प्रभावित हुई सफाई व्यवस्था के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वाहन चालक राजेश वर्मा ए जितेन्द्र तोमर व जयराज कल्याण का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

डम्पर वाहन क्षतिग्रस्त करने पर वाहन चालक से होगी मरम्मत राशि की वसूली रतलाम 31 दिसम्बर । नगर निगम के कचरा संग्रहण के डम्पर वाहन क्रमांक एमपीए 43 जी 1090 में क्षमता से कचरा लोड़ कर वाहन की बाडी को क्षतिग्रस्त करने पर वाहन चालक निकेश.ओमप्रकाश को मरम्मत में व्यय होने वाली राशि वसूले जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किये जाने के साथ ही संबंधित कर्मचारी की ड्यूटी वार्ड क्रमांक 48 में डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेतु कचरा संग्रहण वाहन पर लगाई गई। कोमल नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 16०03 लाख व जलकर 3०55 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 31 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण ए जलकरण दुकान ए गुमटी किराया ए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3९28९822६. व जलकर 54९850६.९ मालवा नगर लक्ष्मणपुरा

षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आयोजित षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरूपति नगर में आयोजित षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोड वार्ड क्रमांक 5ए 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निंग स्टार स्कूल वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनी वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगर वार्ड क्रमांक 14ए 15ए 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनी वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगर वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी वार्ड क्रमांक

33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 31 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालयए जिला चिकित्सालयए पांजरा पोले महु रोड बस स्टैण्डए बाजना बस स्टैण्डए सैलाना बस स्टैण्डए रेलवे स्टेशनए मुखर्जी नगरए कालिका माताए नगर निगमए फायर ब्रिगेडए चांदनी चौकए गौषाला रोड पेयजल टंकीए ऋतुराज सम्पवेल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

31 दिसम्बर 69 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 31 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 31 दिसम्बर शुक्रवार को 69 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

31 दिसम्बर शुक्रवार को डम्पर से 24630ए टे^अ कटर से 18150ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 13860 व काम्पेक्टर गीला कचरा 12800 किलो इस तरह कुल 69800 किलो कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

6602 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें
रतलाम 31 दिसम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय
वृद्धा पेंशनए राश्ट्रीय विधवा पेंशनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंशनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा
पेंशनए विधवा पेंशनए निःषक्त पेंशनए मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने
वाले हितग्राहियों का षासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके
तहत 31 दिसम्बर षुक्रवार तक 6602 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर
66 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर
निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना
भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

खुले में गंदगी करने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 34 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 31 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री
कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले
में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन
पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है
जिसके तहत 31 दिसम्बर को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर माँ
वैशणव इन्टरप्राईजेसे मिर्ची गली पर 500ए रौनक माणक चौकए हकीम स्टोर
छावनीवालाए हातिम भाईए नेशनल जनरल स्टोरए महालक्ष्मी बेंगल मिर्ची गली पर
250.250ए फकरूद्दीन माणक चौक पर 200ए बाबुलाल सैलाना बस स्टैण्डए
मुन्नालाल दो बत्ती पर 100.100ए दषरथए अषोकए रमेष सैलाना बस स्टैण्डए
नन्दकिषोरए अषोकए राजेष दो बत्तीए बकील माणक चौक पर 50.50 रूपये का
स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 34 व्यक्तियों पर 100.100
रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पी सिंह मोण नं 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नं 7471144931, श्री किरण चौहान मोण नं 7471144932, श्री विनय चौहान मोण नं 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पोर्ट फाईन दल के पवन झांझोट मोण नं 7000128812, आकाश बिन्दे मोण नं 9424075393, 7724981736, मनोज झांझोट मोण नं 6268449110, राकेश ललावत मोण नं 7000128812 को देकर नगर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

2663 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 91 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 31 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2513 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,00,000. तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 150 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,00,000. ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 88 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 31 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेसन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घण्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घण्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 31 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 31 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया

है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 31 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें

यदि वार्डों में साफ़ सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार संविधान हेतु 31/12/2021 न्याय निगम ए रतलाम